

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 933 /14-1, दिनांक:अलीगढ़:सितम्बर 20 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत पलवल-टप्पल-अलीगढ़ (एस0एच0-22ए) किमी0 73 (चैनेज 72.800) दांयी पटरी खसरा सं0-141ए, ग्राम ल्हौसरा बिसावन, तहसील- कोल, जनपद- अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन की अनुमति।


महोदय,

जनपद अलीगढ़ में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत पलवल-टप्पल-अलीगढ़ (एस0एच0-22ए) किमी0 73 (चैनेज 72.800) दांयी पटरी खसरा सं0- 141ए, ग्राम ल्हौसरा बिसावन, तहसील- कोल, जनपद- अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 633/Others/25541/U.P.0108, दिनांक 26.08.2017 द्वारा प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1, समदिनांकित।

1. प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 633/Others/25541/U.P.0108, दिनांक 26.08.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि- जिला पूर्ति अधिकारी, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में अनापत्ति पत्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्तर से जारी किया जाना है। अतः विषयगत प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा जारी विधिवत् स्वीकृति एवं उसके क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के पूर्व अनापत्ति कदापि न प्रदान की जाये।
3. प्रभागीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि0, 2314, तीसरी मंजिल टावर ए, द कोरेन्थम, ए-41,सेक्टर 62 नोएडा-201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा जारी विधिवत् स्वीकृति एवं उसके क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति से पूर्व रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु स्वीकृति न प्रदान की जाये। यदि भारत सरकार की पूर्व अनुमति से रिटेल आउटलेट का निर्माण किया जाता है, तो आपके विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन प्राविधानों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जायेगी।

(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	<p>स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई।</p> <p>क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।</p>	<p>एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत पलवल-टप्पल-अलीगढ़ (एस0एच0-22ए) किमी0 73 (चैनेज 72.800) दांयी पटरी खसरा सं0- 141ए, ग्राम ल्हौसरा बिसावन, तहसील-कोल, जनपद- अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन की अनुमति।</p> <p style="text-align: center;">नहीं</p>
15.	<p>क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।</p>	हाँ
16.	<p>प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।</p>	<p>प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।</p>

तिथि:- 20.09.17
स्थान:- अलीगढ़।


(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

